

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


अधिसूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-2135 दिनांक-18.04.2016 एवं संकल्प सं०-2776 दिनांक-24.04.2017 यथा संशोधित द्वारा "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति, 2016" निर्गत है।

एतद् द्वारा उक्त नीति झारखण्ड राज्य के अधीनस्थ सभी नगर निकायों/प्राधिकार/बोर्ड में प्रस्तुत अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016.....3434


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e Gazettee नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016.....3434


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016.....3434

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/नगर निवेशक, नगर निवेशक संगठन (मुख्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

(D)

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


अधिसूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-2135 दिनांक-18.04.2016 एवं संकल्प सं०-2776 दिनांक-24.04.2017 यथा संशोधित द्वारा "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति, 2016" निर्गत है।

एतद् द्वारा उक्त नीति झारखण्ड राज्य के अधीनस्थ सभी नगर निकायों/प्राधिकार/बोर्ड में प्रस्तुत अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. प्रस्तुत नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना निर्गत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक- 29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016..... 3434

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e Gazette नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक- 29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016..... 3434

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक- 29/05/17

ज्ञापांक-7/विविध नीति-05/2016..... 3434

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/नगर निवेशक, नगर निवेशक संगठन (मुख्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(a)